

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 21.03.2018

संख्या-12/प0-1008/2010-सा0प0-3952/ बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर एवं मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है: -

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, को० क० एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री विधान चन्द्र यादव, 725/11, खगड़िया	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनिर्वाह, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अरवल । (अपने वेतनमान में)
2	श्री राजेश कुमार सिंह, 834/11, पटना	वरीय उप समाहर्ता, गया (उप सचिव स्तर में उत्कर्मित)	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा । (अपने वेतनमान में)
3	श्री राजीव रंजन प्रभाकर, 905/11, सहरसा	वरीय उप समाहर्ता, गया (उप सचिव स्तर में उत्कर्मित)	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दरभंगा । (अपने वेतनमान में)
4	श्री राजीव रंजन सिन्हा, 962/11, पटना	वरीय उप समाहर्ता, गोपालगंज (उप सचिव स्तर में उत्कर्मित)	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, समस्तीपुर । (अपने वेतनमान में)
5	श्री कुमार अमर कांत, 768/11, पटना	पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद ।
6	डा० राजेश्वर प्रसाद, 986/11, औरंगाबाद	पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी ।
7	श्री सतीश रंजन सिन्हा, 934/11, पटना	वाह्य प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना में प्रतिनियुक्त)।
8	श्रीमती श्वेता मिश्रा, 1312/11, इलाहाबाद, उ० प्र०	सेवा में पुनः स्थापन के फलस्वरूप पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	सचिव (अपने वेतनमान में), बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना ।
9	मो० मंजूर आलम, 1393/11, भोजपुर	पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	वरीय उप समाहर्ता, किशनगंज

2. कडिका 1 के कमांक 5, 6 एवं 9 पर अंकित पदाधिकारियों को दंड प्रकिया सहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रकिया सहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19/3/18

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक-12/प0-1008/2010-सा0प0-3953 पटना, दिनांक- 21.03.2018

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/आप्त सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना। सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 2,8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/18

सरकार के संयुक्त सचिव